रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2017/माघ 24, 1938
No. 359]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2017/MAGHA 24, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

का. आ. 395(अ).—जबकि मैसर्स अमन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड रॉबिन्सन R44 हेलीकाप्टर VT-PHBदिनांक 11.12.2016 को मुंबई पर जॉइराइड उड़ान करते समय जुहू हवाई अड्डा में दुर्घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री आर एस पासी, उप निदेशक, एएआईबी, की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) श्री के. रामचंद्रन, विमान संरक्षा अधिकारी, एएआईबी, सदस्य के रूप में

(ii) कर्नल प्रदीप श्रीवास्तव, एएआईबी के विशेषज्ञों के पूल के सदस्य, सदस्य के रूप में

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15013/15/2016-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव